



अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई

नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय, सुपेला भिलाई



शाखा प्रभारी – श्री पी सी सार्व
लिपिक - श्री नवीन साहू



अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति /परिवारों की पहचान करना, जिसकी जाति तथा मूल निवास के सम्बन्ध में लोक/निजी दस्तावेजों में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों जाति एवं मूल निवासी की उद्घोषणा सामान्य सभा द्वारा किया जाना है।



जाति एवं मूल निवासी की उद्घोषणा हेतु साधारण सम्मिलन दिनांक 17.07.2020 को संकल्प पारित किया गया है निगम परिषद् के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त शासन के पत्र क्रमांक 320 नया रायपुर दिनांक 11.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में उद्घोषणा हेतु संबंधित दस्तावेज/अभिलेख की जानकारी के साथ सामान्य सभा की बैठक आहूत किये जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया।





अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई



सामान्य सभा में जाति एवं मूल निवास की उद्घोषणा के संबंध में चर्चा हेतु 05 प्रकरण रखा गया था।



जोन कार्यालयों में जाच हेतु जाति एवं मूल निवास की उद्घोषणा के संबंध में 14 प्रकरण भेजा गया है।



रविदास चर्म शिल्प योजनान्तर्गत परम्परागत व्यवसाय में लगे पात्र हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान किया जाता है।



रविदास चर्म शिल्प योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वर्ष 2012-13 से दिनांक 20.01.2022 तक 130 पात्र हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदाय किया गया है।





अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई



वर्ष 2021-22 हेतु 50 नग मोची पेटी प्रदाय किये जाने हेतु आदिवासी विकास विभाग दुर्ग को मांग पत्र जारी किया गया है।



अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हेतु शासन द्वारा दिये गये परिपत्र प्रदाय किया जाता है।





अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र \
हेतु लगभग 200 हितग्राहियों को परिपत्र प्रदाय किया गया है।



धन्यवाद

